राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सूर्यनारायण बनाम बरजी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	277/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/11/2025

पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 28/11/2025 को पेश हो |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

28/11/2025

आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/03/2022 पारित करते हुये तहसीलदार जयपुर को ग्राम हाथोज तहसील जयपुर स्थित खसरा नम्बर 397/1 रकबा 0.0885 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.2656 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3541 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 398/2 रकबा 1.7578 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 400/2 रकबा 0.8473 हैक्टेयर के मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी के कथन उचित प्रतीत होते है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी सहित शेष पक्षकारान की तामील करवाये बगैर एवं उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिये गये, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में विचारण न्यायालय के लिये आवश्यक था कि वे समस्त पक्षकारान की तामील करवाया जाना सुनिश्चित कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करते किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23/03/2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की समुचित सुनवाई कर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना सुनिश्चित कर विधिसम्मत प्राथमिक निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 28/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर